

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 2606/जी.एस.
दिनांक: 19/12/2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

महोदय,

आपके पत्रांक: लो०अ०वि०वि०/सम्ब०/१७१/२००६ दिनांक १५-०७-२००६ के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन श्री विनायक महाविद्यालय, खजुराहट, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर शिक्षा सुकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- १- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- २- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- ३- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)

कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ४६-ए, तिलकनगर, शान्तिपथ, जयपुर।
- ४- प्रबन्धक/प्राचार्य, श्री विनायक महाविद्यालय, खजुराहट, फैजाबाद।

(हरी चरन प्रकाश)

कुलाधिपति के विशेष सचिव